न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रवेश तिथि 16.07.2025

अपील संख्या 12/06/2025 रजि० नं0 2025/

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
घनश्याम दास पुत्र चिरजीलाल निवासी ग्राम नूरनगर हल्का नूरनगर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 11.08.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस कंमाक 209 दिनांक 17.07.2025, 1029 दिनाक 23.07.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 29.07.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब पेश किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने जर्ये पत्राक आरटीआई/अपील/2024/6057 दिनाक 18.07.2025 के द्वारा जवाब पेश करते हुऐ पूर्व में ही प्रेषित जवाब की प्रति संलग्न कर भिजवायी गयी है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2025 में वर्णित तथ्यो पर बिन्दूवार जवाब अपीलार्थी को भिजवाया जा चुका है। उक्त क्रंम में विधिक प्रावधानो की पालना की गयी है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
7. आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

न्यायालय अति० जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज०)
सत्यमेव जयते